

क्रमांक : प.3(2)वित्त/साविलेनि/2020


जयपुर, दिनांक : 13.09.2021

आदेश

विषय : लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-II के परिशिष्ट XI के क्लॉज- 23 में संशोधन बाबत।

राज्यपाल महोदय लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के भाग-II के परिशिष्ट XI के क्लॉज- 23 में निम्न प्रावधान जोड़े जाने का आदेश एतद्वारा प्रदान करते हैं:-

विवाद जिसको निस्तारण हेतु स्टेण्डिंग कमेटी के समक्ष रखा जाना है, new work process (online) के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता के द्वारा कार्य की प्रगति एवं बिल के सत्यापन की दिनांक से 90 दिवस की समय सीमा में इंजिनियर इंचार्ज के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

आज्ञा से,

13/9/2021
(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिनि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रधान महालेखाकार (A&E/Audit) राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, राजस्थान।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/इंदिरा गांधी नहर परियोजना/सिंचित क्षेत्र विकास विभाग/वन विभाग/भू जल विभाग/जल संसाधन विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. निदेशक, कोष एवं लेखा/निरीक्षण/स्थानीय लेखा अंकेक्षण विभाग, वित्त भवन, जयपुर।
7. समस्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/आरडब्ल्यूएसएसएमबी/भू जल विभाग/इंदिरा गांधी नहर परियोजना/ सिंचित क्षेत्र विकास विभाग।
8. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी, आरडब्ल्यूएसएसएमबी/सार्वजनिक निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/भू जल विभाग/इंदिरा गांधी नहर परियोजना/सिंचित क्षेत्र विकास/वन विभाग।
9. समस्त कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी, राजस्थान।
10. वित्त विभाग के समस्त अनुभाग।
11. प्रशासनिक सुधार विभाग।
12. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग कृपया इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करावें।
13. रक्षित पत्रावली।


मुख्य लेखाधिकारी

(PWF&AR -83/2021)